बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 227 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 26 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

केजरीवाल का बड़ा हमला- एसआईटी जांच सिर्फ एक धोखा, ताकतवरों को बचाने का कवर-अप

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर निशाना साधा। उन्होंने इसे धोखाधड़ी और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए किया गया मामले को दबाने का प्रयास (कवर-अप) बताया। आज लखनऊ पहुंचे केजरीवाल ने दावा किया कि एसआईटी के पास निष्पक्ष जांच करने का अधिकार नहीं है। आप राष्ट्रीय संयोजक ने पत्रकारों से कहा, इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए लोगों की नजर में यह एसआईटी सिर्फ एक धोखा है। यह पूरे मामले को दबाने की कोशिश है और एसआईटी का एकमात्र काम प्रभावशाली लोगों को बचाना है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद- सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह 29 जून को अपनी उस याचिका का उल्लेख करे जिसमें अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष व समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की गई है। यह मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीआई की अगुवाई वाले विशेष जांच दल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज और प्रशासन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कथित गैर-कानूनी कामों की जांच करनी चाहिए। एक याचिकाकर्ता ने बृहस्पतिवार को इस मामले का जिक्र किया और पीठ से गुजारिश की कि याचिका को 29 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा, यह एक जनहित याचिका है और यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी है। इसे संख्या तो मिल गई है, लेकिन कोई तारीख नहीं दिखाई दे रही है। पीठ ने कहा कि अगर याचिका में कोई कमी नहीं है, तो रजिस्ट्री इसे आगे बढ़ाएगी। पीठ ने कहा, कृपया रजिस्ट्री से संपर्क करें। अगर कमी दूर हो जाती है, तो इसे सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका पंजीकृत हो गई थी और उसमें कोई कमी नहीं थी। जब उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को 29 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, तो पीठ ने कहा, आप सोमवार (29 जून) को इसका उल्लेख करें। याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को ऐसी नियामक, सुपरवाइजरी और ऑडिट प्रणाली बनाने और उन्हें लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो जनहित की रक्षा और लाखों भक्तों व दानदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी हों। याचिका में कहा गया है, भले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गायब कोष और अन्य कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट अंततः सच साबित हों या न हों, लेकिन ऐसी खबरों ने उन पीढ़ियों के बीच गहरी चिंता पैदा की है जिन्होंने अयोध्या के सम्मान को बहाल करने के लिए संघर्ष किया था। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी ने प्राथमिकी या किसी नियमित आपराधिक मामले को दर्ज किए बिना ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़े कथित तौर पर गायब कोष और दूसरी अनियमितताओं की खबरों की सचाई की जांच एक ऐसी एजेंसी से स्वतंत्र रूप से कराई जानी चाहिए, जिसके पास जटिल वित्तीय और आपराधिक मामलों की जांच के लिए ज़रूरी विशेषज्ञता, संसाधन और संस्थागत तंत्र हों।

लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 44 पुराने फ्लाईओवरों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने राजधानी में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने 44 फ्लाईओवरों और ग्रेड सेपरेटरों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने PWD को 11 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के अनुसार भविष्य में कोई संभावित दुर्घटना से पहले ही जरूरी कदम उठाना और शहर के मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। दिल्ली के कई फ्लाईओवर में रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं। कई फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 1982 से 2010 के बीच हुआ था। बढ़ती ट्रैफिक के बीच इनकी देखभाल जरुरी है। PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों को मजबूत करना और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि तेजी से विकसित हो रही दिल्ली में विकास के साथ-साथ सुरक्षा भी जरुरी है। इसलिए पुराने फ्लाईओवरों की जांच करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। इस योजना के तहत एक विशेषज्ञ कंसल्टेंट एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो फ्लाईओवरों और ग्रेड सेपरेटरों का मूल्यांकन करेगी। जांच के दौरान जहां कहीं मरम्मत की आवश्यकता होगी वहां मरम्मत करवाई जाएगी। ऑडिट सूची में आईपी एस्टेट रिंग रोड इंटरसेक्शन, नांगिया पार्क-शक्ति नगर आरयूबी, नारायणा फ्लाईओवर, मंगोलपुरी फ्लाईओवर, लाजपत नगर-श्रीनिवासपुरी फ्लाईओवर, सराय काले खां फ्लाईओवर, सफदरजंग फ्लाईओवर, डीएनडी फ्लाईओवर, अफ्रीका एवेन्यू-अरुणा आसफ अली मार्ग फ्लाईओवर, आजादपुर ग्रेड सेपरेटर और गाजीपुर फ्लाईओवर सहित कई महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल है। कुछ फ्लाईओवरों को उनकी खराब स्थिति के आधार पर भी सूची में शामिल किया गया है। नारायणा, मंगोलपुरी और लाजपत नगर-श्रीनिवासपुरी फ्लाईओवर को लेकर पहले ही कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एंड्रयूज गंज फ्लाईओवर को भी इस सूची में जोड़ा गया है। इस स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद दिल्ली के पुराने फ्लाईओवर नेटवर्क की एक विस्तृत 'हेल्थ रिपोर्ट' तैयार होगी।

मस्जिदों के ध्वस्तीकरण और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमलों को लेकर एपीसीआर की प्रेस वार्ता

नई दिल्ली।

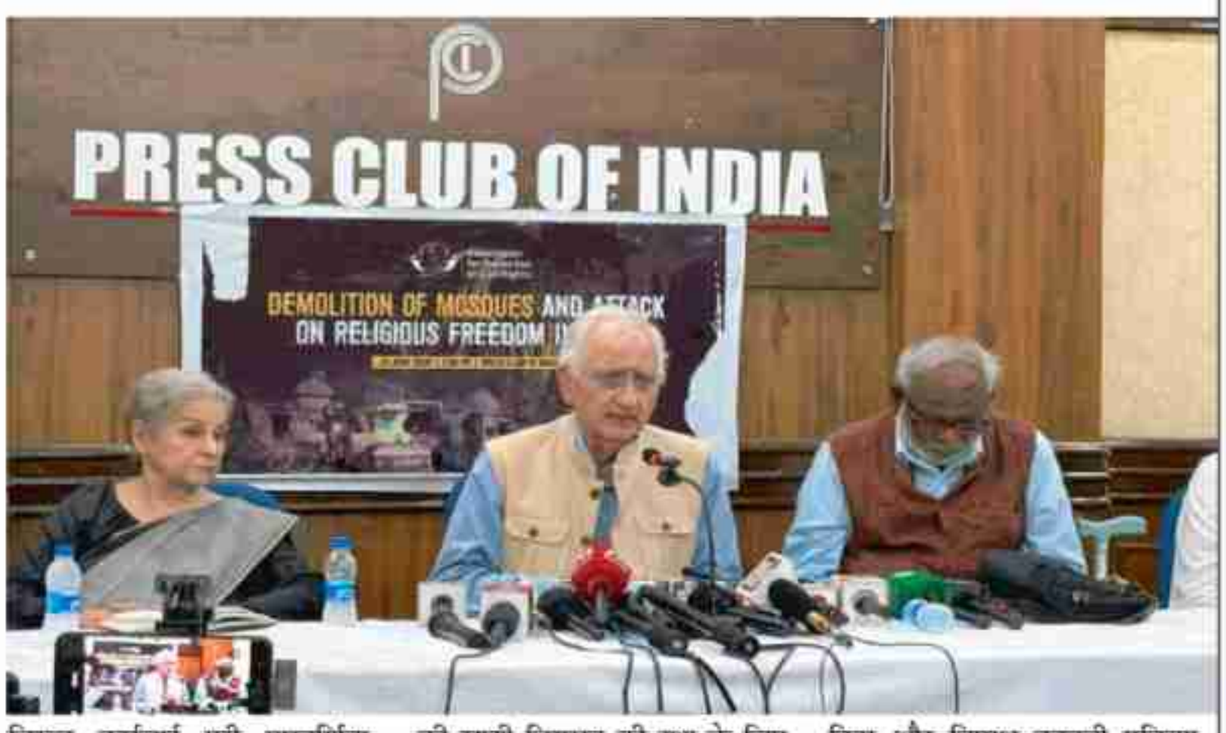

एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली में ÷मस्जिदों के ध्वस्तीकरण और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले÷ विषय पर एक राष्ट्रीय प्रेस वार्ता आयोजित की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक चिंतकों तथा विभिन्न राज्यों से आए प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद मोहम्माद अदीब, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष मालिक मोहताशिम ख़ान, डॉ. सैय्यदा हमीद, जॉन दयाल,एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम ख़ान, अधिवक्ता सैय्यद सआदत अली तथा अधिवक्ता रियासत अली सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और क़ानून के शासन की भावना के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए।

सलमान खुर्शीद ने प्रभावित समुदायों से सभी उपलब्ध क़ानूनी उपायों का उपयोग करने का आह्वान किया।पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने अवैध ध्वस्तीकरण के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। डॉ. सैय्यदा हमीद साहिबा और जॉन दयाल साहब ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और देश की साझी विरासत की रक्षा के लिए सभी समुदायों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम ख़ान ने कहा कि हाल के दिनों में कई राज्यों में मस्जिदों को निशाना बनाए जाने की घटनाएँ सामने आई हैं, जिनका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा किए और निष्पक्ष क़ानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि भारत की सेक्युलर पहचान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी धर्मों के पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में क़ानून के शासन, जवाबदेही और गैर-भेदभावपूर्ण रवैये को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

दिल्ली में कोचिंग सेंटरों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने 923 संस्थानों की सुरक्षा जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली । लखनऊ से बीते दिनों एक भयानक अग्निकांड की घटना सामने आई है। इस हादसे को लेकर दिल्ली सरकार भी राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गई है। दिल्ली के शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को दिल्ली के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नियमों की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने वाले इंस्टीट्यूट पर सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों और बुनियादी ढांचे की कमियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका कल्याण हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा नियमों में किसी भी तरह की कोताही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बैठक में गृह विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा , दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शहरी विकास विभाग और उच्च शिक्षा निदेशालय के आला अधिकारी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीए, एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विस और डीडीएमए को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली प्रमुख नगरों में जल्द से जल्द चैकिंग अभियान शुरु किया जाए। इस जांच अभियान के तहत अग्नि सुरक्षा मानकों, बिल्डिंग बायलॉज और अन्य जरूरी सुरक्षा नियमों की कड़ाई से जांच की जाएगी। एमसीडी द्वारा सर्वे किए गए 923 कोचिंग संस्थानों की सूची इस जांच दल को सौंपी जाएगी, ताकि कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सके। आशीष सूद ने सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जो भी संस्थान नियमों के खिलाफ चल रहे हैं या फिर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें तुरंत बंद करने या उन पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरी ओर कोचिंग सेंटरों की मनमानी और सुरक्षा चूकों को रोकने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय एक नया और मजबूत नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। इस नए कानून या नीति का उद्देश्य व्यवस्था की कमियों को दूर करना, जवाबदेही तय करना और कोचिंग सेंटरों के संचालन में पारदर्शिता लाना है। निदेशालय जल्द ही इस नए प्रारूप को सरकार के सामने पेश करेगा।

अपहरण, दरिंदगी और कत्ल : दर्दभरी चीखें, बेबसी और रहम की गुहार, कार में हैवानियत

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके 11 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, उसके साथ दरिंदगी और फिर बेरहमी से हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी वासू सिंह उर्फ बल्लू ने जिस नृशंसता से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, उसका कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हवस में अंधे हो चुके आरोपी ने छतरपुर रोड पर मांडी गांव के बाद कैब सुनसान जगह पर रोकी और बच्ची से दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची की दर्दभरी चीखों, उसकी बेबसी और रहम की गुहार से भी वह नहीं पिघला। उसने मासूम की अस्मिता को रौंदा और अपनी करतूत छिपाने के लिए दर्द से बिलखती नाबालिग की सांसें भी छीन लीं। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी वारदात से पहले गांजे के नशे में था । उसने बच्ची अपनी मां, तीन बहन-भाई के बाद पांचवें नंबर पर सोता देख उसे कैब में लिटा लिया और गाड़ी गुरुग्राम की ओर मोड़ दी। इस बीच बच्ची की नींद खुली और खिड़की से बाहर देख वह पापा...पापा .. चिल्लाने लगी। आरोपी ने उसे कहा कि वह घुमाकर परिवार के पास छोड़ देगा। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक बच्ची की आवाज सुनकर उसके पिता ने कार का पीछा भी किया और बदहवास हालात में जहां परिवार सो रहा था वहां आया और अपहरण की जगह पर सो रहे बुजुर्ग से कार चालक के बारे में पूछा लेकिन वह कुछ बता नहीं आए। इस पर पीड़ित परिवार ने करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना दी। महरौली थानाध्यक्ष रितेश शर्मा और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर अजय यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को काफी सुराग मिल गए थे।

इधर, आरोपी वासू सिंह बच्ची की हत्या करने के बाद शव कार की पिछली सीट पर रखा और 10 से 12 किलोमीटर दूर फरीदबाद -गुरुग्राम रोड पर सुशांत लोक के नजदीक जंगल में ले गया। बच्ची के शव को झाड़ियों और पत्थरों से ढक दिया था। यहां से गुरुग्राम के चक्करपुर स्थित अपने कमरे पर पहुंचा था और सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी थी। महरौली में बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने की वारदात के बाद ही आरोपी ने पौने घंटे बाद ही बुकिंग ले ली थी। उसने सोमवार सुबह 7 बजे गुरुग्राम के चक्करपुर से दिल्ली के नांगलोई की बुकिंग ली थी। नांगलोई में सवारी को छोड़कर वह विकासपुरी आ गया और यहां वह अगली बुकिंग का इंतजार करने लगा। यहां से मोबाइल लोकेशन व कंपनी से ली गई डिटेल के आधार पर आरोपी को विकासपुरी से पकड़ लिया। दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रही बच्ची को एक कैब चालक उठा ले गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव फरीदाबाद गुरुग्राम रोड स्थित जंगल में फेंका और भाग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कैब चालक बिहार निवासी वासु उर्फ बबलू (25) को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव बरामद करने के लिए आरोपी को गुरुग्राम ले जाया गया था। वहां पर आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन कर भागने की कोशिश की।

सम्पादकीय...

संतुलन की परीक्षा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया गहरे राजनीतिक और सामरिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में 28 फरवरी 2026 को खामेनेई की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति बदल गई है। ऐसे में भारत के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया है कि वह इस संवेदनशील अवसर पर किस स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करता है और इससे उसकी पश्चिम एशिया नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने घोषणा की है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक तेहरान, क़ोम और मशहद जैसे प्रमुख धार्मिक एवं राजनीतिक शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अंतिम दफन समारोह 9 जुलाई को मशहद में होगा। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आधुनिक ईरान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। लगभग चार दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और वैचारिक दिशा को प्रभावित करने वाले खामेनेई के निधन के बाद यह समारोह वैश्विक नेताओं की उपस्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय महत्व भी प्राप्त कर चुका है। भारत के लिए यह निमंत्रण विशेष महत्व रखता है। नई दिल्ली और तेहरान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों पर विकसित हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह, मध्य एशिया तक पहुंच और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में ईरान भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दोनों देशों के संबंधों की गति कुछ धीमी पड़ी थी, लेकिन संपर्क और संवाद लगातार जारी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित उपस्थिति को केवल शोक प्रकट करने के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि यह भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति का संकेत भी मानी जाएगी। भारत लंबे समय से रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाता रहा है। उसके घनिष्ठ संबंध जहां ईरान के साथ भी हैं और इजराइल, अमेरिका तथा खाड़ी देशों के साथ भी। यही कारण है कि भारत ने हालिया अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय संवाद और शांति की वकालत की है। यदि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं, तो यह ईरान के प्रति भारत की संवेदनशीलता और सम्मान का संदेश देगा। वहीं यदि भारत किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजता है, जैसा कि 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के समय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेजा गया था, तब भी दोनों देशों के संबंधों में निरंतरता का संकेत जाएगा। इसलिए इस निर्णय का महत्व केवल प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कूटनीतिक निहितार्थ भी व्यापक होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले चार महीनों में अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगाए गए प्रतिबंधों और नियंत्रण ने तेल एवं गैस आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर दबाव बढ़ा। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है और पश्चिम एशिया उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यही कारण है कि नई दिल्ली क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद की भारत यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिक्स देशों से जुड़े ऊर्जा सहयोग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे पाकनेजाद भारतीय अधिकारियों और ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत करेंगे। इन चर्चाओं में तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, निवेश के अवसर तलाशना और वैश्विक ऊर्जा बाजार के नवीनतम घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श शामिल है। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि राजनीतिक और सामरिक चुनौतियों के बावजूद भारत और ईरान अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। ऊर्जा क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग का सबसे बड़ा आधार रहा है। यदि पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होती है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है, तो भारत के लिए ईरानी तेल आयात का मार्ग फिर से खुल सकता है। इससे भारत की ऊर्जा लागत कम करने और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह किसी क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष का हिस्सा बनने के बजाय सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखे। भारत के इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग मजबूत हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ईरान भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। इसलिए नई दिल्ली की प्राथमिकता क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भागीदारी का निर्णय इसी व्यापक रणनीतिक सोच के तहत लिया जाएगा। यदि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जाते हैं तो यह एक मजबूत राजनीतिक संदेश होगा। यदि कार्यक्रमों की तिथियां उनके पूर्व निर्धारित इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दौरे से टकराती हैं, तो भारत किसी उच्चस्तरीय प्रतिनिधि को भेज सकता है। दोनों ही स्थितियों में भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ईरान के साथ उसके संबंधों में कोई नकारात्मक संदेश न जाए। कुल मिलाकर आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या राष्ट्रीय आयोजन नहीं है, बल्कि यह पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति का प्रतीक बन चुका है। भारत के लिए यह अवसर अपने कूटनीतिक संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को साधने की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी को लेकर लिया गया निर्णय न केवल भारत-ईरान संबंधों की दिशा को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी बहुआयामी विदेश नीति को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहता है।

नई आर्थिक साझेदारी की संभावनाएँ

भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के प्रयासों के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर की दो दिवसीय भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई उनकी कई दौर की बैठकों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दोनों देश लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही, व्यापक समझौते से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को भी जल्द पूरा करने की संभावना दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका आज दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत अमेरिका के लिए एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक सहयोगी बन चुका है। ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था तेजी से बदल रही है।

और आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, दोनों देशों के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ग्रीयर और गोयल के बीच हुई बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रमुख तत्वों की व्यापक समीक्षा की गई। इनमें बाजार तक बेहतर पहुँच, डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, गैर-शुल्कीय बाधाओं में कमी तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। यह संकेत देता है कि दोनों देश केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि नई अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करना चाहते हैं। भारत लंबे समय से अमेरिकी बाजार में अपने कृषि उत्पादों, वस्त्रों, औषधियों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए अधिक अवसर चाहता रहा है। वहीं अमेरिका भारतीय बाजार में कृषि, डेयरी, चिकित्सा उपकरण, डिजिटल सेवाओं और निवेश के लिए अधिक खुलापन चाहता है।

व्यापार वार्ताओं का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू हमेशा यही रहा है कि दोनों देश अपने-अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए साझा हितों का संतुलन कैसे स्थापित करें। हालांकि हालिया वार्ताओं में जिस प्रकार महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया गया है, उससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष कई जटिल मुद्दों पर सहमति के करीब पहुँच चुके हैं। तकनीकी और मंत्रीस्तरीय बैठकों की श्रृंखला ने वार्ता प्रक्रिया को गति दी है और अब अंतरिम समझौते को व्यापक बीटीए की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। डिजिटल व्यापार इस समझौते का एक प्रमुख आयाम बनकर उभरा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा प्रवाह, ई-कॉमर्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती संभावनाओं के बीच भारत और अमेरिका दोनों ही डिजिटल अर्थव्यवस्था को भविष्य की विकास शक्ति मानते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता बाजारों में से एक है, जबकि अमेरिका वैश्विक तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में डिजिटल सहयोग दोनों देशों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर दिया गया जोर भी वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और हाल के पश्चिम एशियाई संकटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अत्यधिक केंद्रीकृत आपूर्ति प्रणालियाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि भारत खुद को एक विश्वसनीय विनिर्माण और आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग वैश्विक उत्पादन नेटवर्क को नया स्वरूप दे सकता है। रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग भी वार्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीक और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी पहले से मजबूत हो रही है। व्यापार समझौता इन क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी आदान-प्रदान को और अधिक गति प्रदान कर सकता है। हालांकि वार्ता के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहता है क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर अमेरिका अपने किसानों और निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार में अधिक अवसर चाहता है। इसी प्रकार डेटा संरक्षण, ई-कॉमर्स नियम और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषय भी वार्ता को जटिल बनाते हैं। इसके बावजूद दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण आशावादी दिखाई देता है। वार्ता के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि समझौता संतुलित, व्यावसायिक रूप से सार्थक और दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के लिए ठोस लाभ प्रदान करने वाला होना चाहिए। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि दोनों पक्ष केवल व्यापारिक आंकड़ों को बढ़ाने पर नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, लेकिन अभी भी इसकी क्षमता कहीं अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि व्यापक व्यापार समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी इस समझौते के महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला संकटों का सामना कर रही है, भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी वैश्विक व्यापार को स्थिरता प्रदान कर सकती है। यह समझौता लोकतांत्रिक और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी बन सकता है।

कुल मिलाकर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत और अमेरिका अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी वार्ताएँ दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण हैं। यदि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होती है, तो इससे न केवल भारत और अमेरिका को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी एक नई स्थिरता और संतुलन स्थापित हो सकता है।

श्रद्धा, सुरक्षा और सियासत-पाकिस्तान को जवाब देना होगा

पाकिस्तान लंबे समय से स्वयं को सिखों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने का प्रयास करता रहा है। करतारपुर कॉरिडोर से लेकर विभिन्न गुरुद्वारों के संरक्षण तक, पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान एक ओर सिख श्रद्धालुओं को अपने देश में स्थित गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए आमंत्रित कर यह दिखाता है कि वह सिख भावनाओं की कदर करता है मगर इसके विपरीत वह श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता जिसका पुख्ता प्रमाण इस बात से मिलता है कि पांचवें सिख गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को बसों में बिठाकर शहर दर्शन के बहाने ले जाकर उन्हें सूफी नाईट में छोड़ दिया गया जिस घटना ने संसारभर के सिखों के हृदय चोटिल किया है। निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान प्रशासन और उसकी खुफिया एजेन्सी की ही साजिश का हिस्सा हो सकता है, हालांकि देखा गया कि दिल्ली कमेटी और शिरोमणि कमेटी का कोई नुमाइंदा इनके झांसे में नहीं आया, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान स्थित पंचायती गुरुद्वारा सिंह सभा में बुजुर्ग सेवादार दंपति जगन नाथ और आशावंती की निर्मम हत्या ने एक बार फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मामले का सबसे भयावह पहलू यह है कि गिरफ्तार आरोपी शेर शाह ने कथित रूप से यह दावा किया कि उसने यह अपराध ''जन्नत कमाने'' के लिए किया, यदि यह बयान सही है तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि कट्टरपंथी सोच के उस खतरनाक स्वरूप को उजागर करता है जो समाज में नफरत और हिंसा को वैध ठहराने की कोशिश करता है। इसके साथ ही यह समझना आवश्यक है कि किसी भी धर्म की मूल शिक्षाएं निर्दोष लोगों की हत्या को उचित नहीं ठहरातीं। इस्लाम सहित दुनिया के सभी प्रमुख धर्म मानवता, करुणा, न्याय और शांति का संदेश देते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंसा को धार्मिक पुरस्कार से जोड़ना धर्म की नहीं, बल्कि कट्टरपंथी और विकृत व्याख्या की अभिव्यक्ति है। निर्दोष लोगों की हत्या को पुण्य बताने वाली मानसिकता न केवल मानवता के विरुद्ध है, बल्कि स्वयं धर्म के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। पाकिस्तान जहां दुनियाभर के सिखों को अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आमंत्रित करता है, वहीं कई बार यात्रियों की गतिविधियों पर अत्यधिक नियंत्रण, आवाजाही पर प्रतिबंध या विवादास्पद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन जैसे घटनाक्रम प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और धार्मिक संवेदनशीलता का अभाव दोनों देशों के बीच बने विश्वास को कमजोर करता है। पाकिस्तान के लिए चुनौती केवल गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार या विदेशी श्रद्धालुओं को वीजा देने तक सीमित नहीं है। असली परीक्षा यह है कि क्या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक नागरिक स्वयं को समान अधिकारों और सुरक्षा के साथ जीवन जीने योग्य महसूस करते हैं। यदि धार्मिक स्थलों के सेवादार तक सुरक्षित नहीं हैं तो यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान सरकार इस घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराए, दोषियों को कठोर दंड दिलाए तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।

बचों को उनका बचपन लौटा दो

यूएई पहला अरब देश है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी लगा दी है। यह बैन विश्वव्यापी चिन्ता के बीच लगाया गया है कि सोशल मीडिया का बच्चों में बढ़ रहा आकर्षण घातक बनता जा रहे है। कई और देश पहले ही यह बैन लगा चुके हैं। शुरूआत आस्ट्रेलिया ने की थी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना था कि सोशल मीडिया बच्चों में व्याकुलता पैदा करता है और कई बार वह ऑनलाइन भक्षकों के शिकार हो जाते हैं। 13-17 साल के 95फीसदी बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। कई दिन में घंटों इस पर लगे रहते हैं। चीन में 2021 से 14 वर्ष से कम बच्चों को दिन में 40 मिनट से अधिक देखने की इजाजत नहीं है। मलेशिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक,टिक-टॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं, देखने पर पाबंदी लगी दी है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, कनाडा, थाईलैंड और डेनमार्क जैसे देश या तो पाबंदी लगा चुके हैं, या लगाने पर विचार कर रहे हैं। बहुत देशों ने स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत सरकार से कहा है कि वह भी पाबंदी लगाने पर विचार करें। डिजिटल खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर बैन लगा दिया है। आंध्र प्रदेश में यह पाबंदी 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर है। भारत सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, पर इस पर सोच जरूर शुरू हो गई है। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार से आयु के हिसाब से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण में 'डिजिटल लत' के खिलाफ चेतावनी दी गई है। बच्चों में यह डिजिटल लत कितनी बढ़ गई है, यह बताने की जरूरत नहीं है। मां-बाप भी इसे रोकने में बेबस नज़र आते हैं। गाज़ियाबाद की तीन बहनों का क़िस्सा रोंगटे खड़े करने वाला है। वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 16, 14, 12 वर्ष की तीन बहनें नौवीं मंज़िल से कूद गईं। वह किसी कोरियन लव गेम को फॉलो कर रही थीं। पिता ने जब फोन जब्त कर लिए तो यह लिख कर कि वह 'कोरियन से अलग नहीं हो सकती' तीनों ने छलांग लगा दी। देश में बढ़ रहे रेप का कारण भी सोशल मीडिया पर परोसी जा रही पोर्नोग्राफी या अश्लीलता है। यही कारण है कि फांसी जैसी कड़ी सजा के प्रावधान के बावजूद रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही। लाखों ऐसी साइट हैं जो बच्चों को पोर्नोग्राफी परोस रही है। इससे विकृति पैदा हो रही है। सर्वेक्षण के अनुसार 90फीसदी यूजर ने महीने में कम से कम एक बार 'पोर्न' शब्द सर्च किया है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और पाकिस्तान जैसे 45 देशों में पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध है। पाकिस्तान पिछले साल 8 लाख वेबसाइटों को बंद कर चुका है। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पाबंदी है पर एडल्ट पोर्न साइट धड़ल्ले से चल रही है जब कि मालूम है कि दुष्कर्मी अधिकतर वयस्क होते हैं। भारत पीछे क्यों है अमेरिका में एक अदालत ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की कम्पनियों को एक युवती को 56 करोड़ रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। इस युवती की शिकायत है कि 6 साल की उम्र से वह सोशल मीडिया से जुड़ी है और इन पर घंटों बिताने से यह आदत लत में बदल गई जिससे वह मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी और यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे सोचने लगी। पर यहां हम केवल इन कम्पनियों को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। इस युवती के मामले में मां-बाप बराबर लापरवाह रहे होंगे जिन्होंने छह साल की बच्ची को सोशल मीडिया पर जाने की अनुमति दे दी, पर इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया का बच्चों पर बहुत गलत मानसिक प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों में माइग्रेन की शिकायत पहले नहीं सुनी जाती थी, पर अब सुनाई दे रही है। मनोवैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि बच्चे जितना सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया में व्यस्त रहेंगे उतना वह असली दुनिया से कटते जाएंगे। कई बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अवसाद उन्हें घेर लेता है। बचपन के जो दिन खेलने-कूदने के होते है वह बंद कमरे में स्क्रीन पर गुजारे जाते हैं। बच्चों की जिन्दगी खेल आधारित कम और इंटरनेट आधारित अधिक बनती जा रही है। कई मनोवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मोबाइल की लत ड्रग लत जितना घातक हो सकती है। डाक्टर बता रहे हैं कि उनके पास इंटरनेट-लत की शिकायत वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। भोपाल से मनोवैज्ञानिक डा. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं, एक बार लत लग गई तो इसके इस्तेमाल को लेकर इतनी तीव्र इच्छा होती है कि शराबियों या ड्रगी की तरह बच्चे भी अड़ जाते हैं। वह अहंकारी, हिंसक और खुद को क्षति पहुंचा सकते हैं। कई पैरेंट्स बताते हैं कि अगर मोबाइल न दो तो बच्चा चिल्लाने लगता है, नाराज हो जाता है, छोटी-छोटी बात पर रोना या झगड़ना शुरू हो जाता है। कईयों में मोटापा बढ़ रहा है। अमेरिका की सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जीनटवेंगे ने बताया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों में एकाग्रता समाप्त कर रहा है। बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता कम हुई है। पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती है। अध्यापक शिकायत करते हैं कि क्लास रूम कमजोर पड़ रहे हैं। मां-बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे अड़ियल हो रहे हैं। कई पब्लिक स्कूलों में कॉसलर रखे गए हैं ताकि बच्चों को गाइड किया जा सके। एक कॉसलर ने बताया कि छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी बात कहने के लिए उनके पास आ रहे हैं। सरकार ने बच्चों के लिए जो हैल्पलाइन बनाई है उस पर कॉल करने वाले बहुत से बच्चे छठी से आठवीं क्लास के हैं। हमारे जमाने में न तो स्कूलों में कॉसलर थे न ऐसी हैल्पलाईन थी। अब क्यों जरूरत पड़ गई इसका कारण है कि समाज बदल गया। मां-बाप खुद इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों की तरफ पूरा ध्यान नहीं रहा। छोटे-छोटे बच्चों को बहलाने के लिए फोन दे दिया जाता है। कई मां-बाप पढ़े-लिखे नहीं है जिस कारण नहीं जानते कि बच्चा क्या देख रहा है। उनकी लापरवाही या अज्ञानता भी समस्या पैदा कर रही है। स्टेटस के लिए भी फोन दिया जाता है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और कई बार बच्चा अकेला घर में रह जाता है और लत में फंस जाता है। खेलकूद से ध्यान हट रहा है। पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। एक ही घर में कई अजनबी बनते जा रहे हैं। देश के अंदर बड़ी राय है जो सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं तो कम से कम,सख्त निगरानी की वकालत करती है। कई पैरेंट्स जो खुद अपने बच्चों के अनुशासित नहीं कर सकते, चाहते हैं कि सरकार यह काम करे। कम्पनियां खुद को दुरुस्त नहीं कर रही। उनका लक्ष्य तो वैसे भी पैसा कमाना है, वह सोशल वर्क में तो है नहीं। सार्थक सवाल है कि ऐसा बैन व्यावहारिक भी है अगर बड़ी कम्पनियों पर पाबंदी लग गई तो क्या बच्चे इंटरनेट के अनियंत्रित कोनों में तो नहीं पहुंच जाएंगे जहां और भी अधिक खतरा है जिसे 'डार्क वेब' कहा जाता है वह और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह गुप्त है। वह हिंसा और अश्लीलता से भरा हुआ है। क्या यह बैन बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बच्चे होशियार होते हैं वह अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, पर सोशल मीडिया के अनियंत्रित इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत सरकार पूर्ण बैन पर सहमत नहीं लगती। 8-12, 12-16, 16-18 साल की तीन श्रेणियां बनाने पर विचार हो रहा है। सीमा तय होगी कि शाम या रात को बच्चे सोशल मीडिया न देख सकें। भारत पश्चिम के देशों से भिन्न है। यहां बहुत बच्चे कमजोर परिवारों से भी है। सोशल मीडिया बाकी दुनिया से उनके सम्पर्क और सूचना प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। उनकी यह खिड़की पूरी बंद करना अन्याय होगा। बीच का रास्ता क्या है आखिर में सुधार सरकार, शिक्षा संस्थाओं, टैक कम्पनियों और मां-बाप,सबके सहयोग से ही हो सकेगा। स्कूलों के लगभग सब प्रिंसिपल बैन पर सहमत होंगे, क्योंकि वह रोज के संघर्ष से बच जाएंगे। हर स्कूल में रोजाना मोबाइल जब्त हो रहे है फिर भी बीमारी खत्म नहीं हो रही। इस मामले में राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने पहल की है, उनके परीक्षण पर नज़र रखी जानी चाहिए, अगर वह सफल रहते हैं तो भारत सरकार को क़दम उठाना चाहिए। ठीक है, पूरी पाबंदी लगाना आज के युग में सम्भव नहीं है। युवा पीढ़ी बहुत चुस्त है वह रास्ता खोज लेगी, फिर भी हाथ पर हाथ रख बैठा तो नहीं जा सकता। यह बड़ी सामाजिक चुनौती बनता जा रहा है। बच्चों को उनका बचपन लौटाने की जरूरत है। जैसे एक मां ने मुझे बताया कि अगर यह बैन 30-40फीसदी भी सफल रहता है तो भी यह लगाने लायक है। जितना भी हो सके। आखिर में बहुत कुछ परिवार पर निर्भर करता है। क़ानून बने या नहीं, मां-बाप को हिम्मत दिखानी होगी और घर में मोबाइल के इस्तेमाल को नियंत्रित करना होगा। वह सारी जिम्मेवारी सरकार या कम्पनियों पर नहीं डाल सकते।

मॉनसून और अर्थव्यवस्था

मॉनसून के मौजूदा आंकड़ों ने न केवल देशवासियों को बल्कि आर्थिक विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। अन्नदाताओं और अर्थव्यवस्था के लिए मॉनसून की 42 प्रतिशत कम वर्षा ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जुलाई माह में भी बारिश कम पड़ती है तो इसका असर खरीफ की फसल पर पड़ेगा, बल्कि इससे उपभोक्ता मांग कम होगी और खाद्य महंगाई का खतरा भी बढ़ जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशंका व्यक्त कर दी है कि देश के 315 जिलों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है और सरकार ने 111 जिलों को अतिसंवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। केन्द्र सरकार ने खेती पर मंडराते खतरे को देखते हुए आपातकालीन तैयारियां शुरू कर दी हैं और अतिसंवेदनशील जिलों के लिए विशेष जल प्रबंधन कम पानी में पैदा होने वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया। जून में कम बारिश होना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अधिकांश वैश्विक जलवायु एजेंसियां मौजूदा अल नीनो के अगस्त-सितंबर तक मजबूत और अक्तूबर-जनवरी तक अत्यंत मजबूत होने का अनुमान लगा रही हैं। दूसरे शब्दों में, खराब शुरुआत से कोई सुधार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अल नीनो के बढ़ते प्रभाव के साथ सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। 2023-24 और 2015-16 में आए पिछले दो मजबूत से अत्यंत मजबूत अल नीनो के कारण सूखे के वर्ष रहे। 2026-27 में भी स्थिति अलग नहीं हो सकती है। राहत की बात सिर्फ यह है कि यह लगातार दो अच्छे कृषि वर्षों के बाद आ रहा है- 2024-25 और 2025-26 में भारत और विश्व स्तर पर किसानों ने बंपर फसलें काटीं, जिनमें गेहूं, चावल, मक्का, चीनी और यहां तक कि सोयाबीन, रेपसीड और पाम तेल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की कीमतें कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उर्वरक और धातुओं की तरह नहीं बढ़ी हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर हुए युद्ध के बाद इन सभी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जबकि सर्वकालिक उच्च उत्पादन से उपलब्ध प्रचुर मात्रा में भंडार ने खाद्य मुद्रास्फीति में अचानक वृद्धि को रोक रखा है कम से कम अभी तक तो ऐसा ही है। भारत में रोजमर्रा की जिन्दगी पर जलवायु परिवर्तन की छिपी हुई आर्थिक लागत का असर साफ दिखाई देता है। मानसून में देरी या कमजोर मानसून से फसल की पैदावार कम होती है, बुवाई में बाधा आती है। कृषि उत्पाद घटने से महंगाई का नया दौर शुरू हो जाता है। अत्यधिक भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है। बिजली ग्रिडों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पिछले 2 महीनों में भारत में बिजली की मांग 270.8 गीगावाट प्रतिमाह से ऊपर पहुंच चुकी है। अतिरिक्त उत्पादन के लिए बिजली कम्पनियां आयातित ईंधन का सहारा लेती हैं और बिजली की लागत बढ़ जाती है। अंततः इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। कम आय वाले परिवारों के लिए बिजली के बढ़ते बिल, भोजन और शिक्षा जैसी आवश्यक जरूरतों पर खर्च में कमी का कारण बनते हैं। अगर मॉनसून खराब रहता है तो इसका असर सिर्फ खाने-पीने की चीजों या एफएमजी सेक्टर पर ही नहीं दिखता, बल्कि अन्य सेक्टर भी इसकी जद में आ जाते हैं। किसानों की कमाई घटने से ट्रैक्टर समेत तमाम कृषि उपकरणों की सेल पर असर होगा जिससे उनके शेयरों में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनियों पर भी बुरा असर होता है। अगर बुवाई से पहले ही मॉनसून खराब हुआ तो किसान लोन कम लेंगे और अगर बुवाई के बाद ऐसा होता है तो किसानों का नुक्सान होने के चलते लोन की रिकवरी मुश्किल हो जाती है। भारत की कुल जीडीपी में एग्रिकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी है। किसानों के लिए बारिश सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। अनुकूल मॉनसून से गुड्स और सर्विसेज की कीमत भी प्रभावित होती है। अगर बारिश कम होती है तो इंडस्ट्री को मार्केट नहीं मिल पाता है और इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। मॉनसून के नाकाम रहने से देश की जीडीपी ग्रोथ प्रभावित होती है। इसका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की मांग पर भी असर पड़ता है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अभी भी उर्वरक संकट बना हुआ है। केन्द्र सरकार कोउर्वरक सब्सिडी के तौर पर 3.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह सब्सिडी कम्पनियों को दी जाएगी ताकि वह खाद का पर्याप्त बंदोबस्त करें। यद्यपि देश के खाद्यान्न भंडार भरे पड़े हैं लेकिन भविष्य में कृषि उत्पादन कम होने से भंडारण में कमी आ सकती है।

यद्यपि अमेरिका-ईरान शांति समझौते के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री मार्ग खुल जाने से जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है लेकिन तेल, गैस, खाद और एलएनजी की आपूर्ति सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। महंगाई के चलते उपभोक्ता मांग कम हुई तो बाजार में खरीदारी कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था का चक्र प्रभावित होगा। अल नीनो के प्रभाव से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार और कर्नाटक में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। जिसके चलते चावल, दालें और सब्जियों की सप्लाई और उपलब्धता प्रभावित होगी। यह भी वास्तविकता है कि खेती की लागत बढ़ चुकी है

जबकि किसानों की आय में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है। इस स्थिति में केन्द्र और राय सरकारों की तरफ से कुशल योजना और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन की जरूरत है। साथ ही तेजी से फसल सर्वेक्षण और बीमा भुगतान के माध्यम से किसानों को नुक्सान से बचने की जरूरत है। एक जुलाई से शुरू होने वाले वीबी-जी आरएएमजी कार्यक्रम को एक आदर्श ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। यक्ष प्रश्न सामने है कि देश का किसान कब जश्न मनाएगा, सरकार को तुरन्त कदम उठाने होंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible], दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/39963)

प्रख्यात समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदर नागर का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

नई दिल्ली। (साहिल गौड़) प्रख्यात समाजसेवी, जीवन अनमोल फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव सुंदर नागर का जन्मदिवस विकास मार्ग स्थित उनके कार्यालय में अत्यंत हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों शुभचिंतकों, समर्थकों एवं गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

जन्मदिवस समारोह में सामाजिक, राजनीतिक एवं पत्रकारिता जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। उपस्थित अतिथियों ने श्री सुंदर नागर के सामाजिक सरोकारों, जनसेवा के प्रति समर्पण तथा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यों की मुक्तकंठ से सराहना की।

इस अवसर पर पूर्व पार्षद गुरुवरण सिंह राजू, पूर्व निगम पार्षद सुशील उपाध्याय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र कोच्छड़, अधिवक्ता हरीश गोला, अधिवक्ता महेश शर्मा, शरद दीक्षित, मनोज गुप्ता, पुरुषोत्तम भारद्वाज, जवाहर धवन, कृष्णा नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता धवन, पिंकी साहनी, बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक एवं पत्रकारिता जगत से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान सुंदर नागर को पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अतिथियों द्वारा उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया गया। केक काटकर जन्मदिवस का उत्सव मनाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर विजय शंकर चतुर्वेदी ने सुंदर नागर को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "सुंदर नागर एक कर्मठ समाजसेवी, लोकप्रिय जननेता एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों की सहायता को अपना ध्येय बनाया है। उनका जीवन जनसेवा, सामाजिक सरोकार और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं उनके जन्मदिवस पर उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनकल्याणकारी कार्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

वहीं बर्लिन (जर्मनी) में रह रहे पुलकित चतुर्वेदी ने दूरभाष के माध्यम से सुंदर नागर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।

अपने संबोधन में सुंदर नागर ने सभी अतिथियों, मित्रों, समर्थकों एवं शुभचिंतकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो प्रेम, स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वही उन्हें समाज और जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

उन्होंने भविष्य में भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

समारोह के अंत में उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया गया तथा सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, सौहार्द और आत्मीयता का वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने समारोह को यादगार बना दिया।

आठवीं मोहर्रम के जुलूस में पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल

रेलवे ढाले पर जुटीं पांच कमेटियां, पुलिस नदारद

भटनी देवरिया। मोहर्रम की आठवीं तारीख पर बुधवार की रात लगभग 11 बजे भटनी नगर में विभिन्न अखाड़ों एवं ताजियादारों द्वारा जुलूस निकाला गया। ढोल-ताशों के साथ नगर की पांच कमेटियों के लोग 116 नंबर रेलवे ढाले पर पहुंचे, जहां परंपरागत रूप से मिलान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मिलान में हतवा गांव की स्टार कमेटी, हुसैन कमेटी हरिकीर्तन मोहल्ला, जमा मस्जिद अखाड़ा नंबर-1 तथा वार्ड नंबर-2 की कमेटी सहित अन्य ताजियादार शामिल रहे। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देर रात तक धार्मिक आयोजन चलता रहा। हालांकि इतने बड़े धार्मिक आयोजन और भीड़भाड़ के बावजूद मौके पर पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना था कि रेलवे क्रॉसिंग और मुख्य मार्ग पर भारी भीड़ होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए। लोगों ने सवाल उठाया कि यदि किसी प्रकार की भगदड़, विवाद या दुर्घटना हो जाती तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता था।

भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ला को जिला बदर करने पर भड़के सदर विधायक, फैसले को बताया बेहद हैरान करने वाला

देवरिया।

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत भाजपा नेता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला को छह महीने के लिए जिला बदर किए जाने के कलेक्ट्रेट न्यायालय के फैसले के बाद अब स्थानीय सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। इस कार्रवाई को लेकर सत्तापक्ष के भीतर से ही तीखी और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया सामने आई है। देवरिया सदर से भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार के स्थानीय तंत्र द्वारा लिए गए इस फैसले पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्ट्रेट और पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक के इस आक्रामक तेवर के बाद से ही जिले के प्रशासनिक गलियारों में खलबली मची हुई है। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरी कार्रवाई पर गहरा क्षोभ और असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्र राजनीति से तपकर निकले और संगठन के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्ला के विरुद्ध जिला बदर जैसी दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय बेहद हैरान करने वाला और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक ने तल्ख लहजे में आरोप लगाया कि ऐसा साफ प्रतीत होता है कि यह गंभीर निर्णय लेने के दौरान संबंधित अधिकारियों ने न तो धरातलीय तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की और न ही मामले को गुण-दोष के आधार पर निष्पक्षता से परखा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एकतरफा और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करार दिया है। प्रशासनिक निर्णय को कतई स्वीकार्य न बताते हुए सदर विधायक ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने

सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा- छात्र राजनीति से निकले समर्पित कार्यकर्ता पर ऐसी कार्रवाई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण शासन स्तर पर उच्चस्तरीय जांच कराने का किया ऐलान, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप

घोषणा की है कि स्थानीय स्तर पर तथ्यों की अनदेखी कर किए गए इस निष्कासन के आदेश की शासन स्तर पर उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी, ताकि इसके पीछे की वास्तविक विसंगतियों को सामने लाया जा सके। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सीधे तौर पर स्थानीय नौकरशाही की मनमानी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है। कलेक्ट्रेट और पुलिस मुख्यालय द्वारा बड़े अपराधियों की सूची में शामिल कर की गई इस कार्रवाई पर अब सीधे सत्तापक्ष के शीर्ष जनप्रतिनिधि द्वारा सवालिया निशान लगाए जाने से पूरा प्रशासनिक अमला बैकफुट पर आ गया है और पूरे मामले में शीर्ष स्तर से बड़ी तब्दीली के आसार नजर आने लगे हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीटनाशकों की बिक्री के लिए नियमों का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कुशीनगर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 846 (अ) दिनांक 24 नवंबर 2022, कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 10(ई) तथा कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जाए। निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों का विक्रय केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे विक्रेता अपने लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान किसानों के घर तक कीटनाशकों की आपूर्ति कर सकते हैं।

आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था - दुर्गेश राय

कुशीनगर।

आपातकाल की बरसों पर जिला पंचायत सभागार में लोकतंत्र सेनानी सेवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि 25 जून 1975 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है, जब सत्ता ने लोकतंत्र और संविधान की भावना को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही सोच के कारण देश में नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ, राजनीतिक गिरफ्तारियां हुईं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि 21 माह के संघर्ष के बाद 1977 में जनता ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए दुर्गेश राय ने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान की चिंता जताने वाले लोगों को पहले इतिहास के उस दौर को याद करना चाहिए, जब आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की

जड़ों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया था। उन्होंने कहा कि देश उस घटना को कभी नहीं भूल सकता। लोकतंत्र सेनानी सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष दीनानाथ यादव ने कहा कि आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था। उस समय केवल विपक्षी नेताओं को ही नहीं, बल्कि देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कैद कर दिया गया था। संगठन के महामंत्री बंका सिंह पटेल ने कहा कि पांच दशक बाद भी आपातकाल की यादें देश की सामूहिक चेतना में जीवित हैं। यह दौर लोकतंत्र की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है और बताता है कि जब लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाया जाता है तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। कार्यक्रम को लोकतंत्र सेनानी उमाशंकर सोनी, व्यास दूबे और राधाकृष्णन ने भी संबोधित किया। संचालन कृष्ण कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर गौरीशंकर प्रसाद, रविन्द्र पाण्डेय, जगदीश, मुखलाल प्रसाद, परमार्थ सिंह, शारदा प्रसाद, पारस प्रसाद, बसन्त प्रसाद, केश्वर गुप्ता, शम्भू यादव, रामनगीना, भाजपा जिला महामंत्री विवेकानंद शुक्ल, जिला मंत्री विश्वरंजन कुमार आनंद, सोशल मीडिया सह संयोजक निशांत शुक्ल, प्रमोद राय, अरुण राय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार अभियान में लोगों को दी गई न्याय संबंधी जानकारी

कुशीनगर।

माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर संजीव कुमार त्यागी के निर्देश पर गुरुवार को स्थायी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अंगद प्रसाद तथा सदस्या श्रीमती दीपाली सिन्हा ने उपस्थित अधिवक्ताओं एवं आमजन को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और लाभों की विस्तृत जानकारी दी। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अंगद प्रसाद ने बताया कि यातायात, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, अस्पताल, बीमा सेवा तथा शिक्षा से संबंधित मामलों का निस्तारण यहां सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल करने के लिए किसी प्रकार की फीस या शुल्क नहीं देना पड़ता तथा अधिवक्ता की भी अनिवार्यता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रार्थना-

पत्र देकर अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है। स्थायी लोक अदालत की सदस्या श्रीमती दीपाली सिन्हा ने कहा कि आमजन में इस संस्था के प्रति पर्याप्त जागरूकता न होने के कारण लोग अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण नहीं करा पाते हैं। इसलिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार न्याय को अधिक सुलभ और त्वरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भुवन ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में मामलों का निस्तारण अपेक्षाकृत कम समय में हो जाता है और इसके लिए न तो कोई फीस देनी पड़ती है और न ही अधिवक्ता रखने की आवश्यकता होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी इस व्यवस्था की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बताया कि उन्हें पहली बार स्थायी लोक अदालत और उसकी कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने इस उपयोगी संस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में कान्ती देवी, श्रीनाथ, वेदान्ती, शैलेश कुमार, विजय कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में वादकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया- अगर पासपोर्ट नहीं, तो नागरिकता का सबूत क्या है?

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को साफ किया कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है। साथ ही कहा कि न तो हाल ही में और न ही पिछले 12 सालों में ऐसा कोई फैसला लिया गया है। इस स्पष्टीकरण में पासपोर्ट एक्ट, 1967 की धारा 20 का जिक्र किया गया है, जिसमें गैर-नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान है। एक्ट की धारा 20 में कहा गया है, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से संबंधित पिछले प्रावधानों में कुछ भी कहा गया हो, फिर भी केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जारी कर सकती है या जारी करवा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर सरकार की राय में जनहित में ऐसा करना जरूरी हो। सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के उन फैसलों की ओर भी इशारा किया जिनमें यह साफ किया गया था कि पासपोर्ट होने से नागरिकता साबित नहीं होती। यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को एक विस्तृत ब्रीफिंग में यह कहे जाने के बाद आया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है और इसे नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। इन बयानों के बाद विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की आलोचना की।

फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को विदेश मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत है। एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने लिखा, MEA 24 जून, 2026- पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज़ है, न कि नागरिकता का दस्तावेज़। तो फिर कौन सा दस्तावेज़ नागरिकता का सबूत है? BLO मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है, नतीजा- BJP चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कोई नई पॉलिसी घोषित नहीं की है, बल्कि पहले से तय कानूनी स्थिति को ही दोहराया है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय अदालतों ने बार-बार यह माना है कि पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। उन्होंने 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले और उसके बाद की पुष्टि का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत योग्यता और सहायक सबूतों के आधार पर किया जाता है। पोस्ट में लिखा था, विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, कागज़ नहीं दिखाएंगे वाले ग्रुप के गुस्से के बीच, यहां असलियत बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कोई नई पॉलिसी घोषित नहीं की है। उसने बस पहले से तय कानूनी स्थिति को दोहराया है। भारतीय अदालतों ने बार-बार माना है कि पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 में यह साफ कर दिया था और बाद में भी इस सिद्धांत की पुष्टि की थी- नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत योग्यता और सहायक सबूतों के आधार पर होता है, न कि सिर्फ एक दस्तावेज़ होने से।

60 सेकेंड तक हिला शहर, अब तक 164 की मौत, 971 घायल

कराकस, वेनेजुएला। वेनेजुएला में 39 सेकेंड में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.04 बजे 7.2 और 6.05 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकेंड तक शहर हिलता रहा। 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 घायल हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, 30% आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गईं या खतरनाक तरीके से झुक गईं। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया।

एलपीजी सिलिंडर से केंद्र सरकार ने हटाई पाबंदियां; होटलों, दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत

नई दिल्ली। औद्योगिक और व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है। साथ ही, संकट के शुरू में निलंबित की गई थोक एलपीजी की सप्लाई को भी पूर्व-संकट खपत के 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला एलपीजी सप्लाई की स्थिति में हालिया सुधार के बाद लिया गया है। यह निर्णय होटलों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों, छोटे-बड़े उद्योगों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जहां एलपीजी खाना पकाने, हीटिंग और अन्य प्रक्रियाओं के लिए एलपीजी जरूरी ईंधन है। इस फैसले से आम जनता भी अप्रत्यक्ष रूप से इससे लाभान्वित होगी, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र में आपूर्ति सामान्य होने से सेवाओं की कीमतों पर दबाव कम होगा और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने की संभावना घटेगी। मार्च, 2026 में ईरान पर अमेरिका व इजरायल के हमले के बाद भारत में एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई थी। इसके बाद कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने की सूचनाएं आई थीं। इसकी वजह से सूरत जैसे कई शहरों से प्रवासी श्रमिकों के पलायन भी देखा गया था। अब स्थिति सामान्य हो जाएगी। पश्चिम एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर चुनौती पैदा कर दी थी। भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें से करीब 85-90 प्रतिशत पश्चिम एशिया (सऊदी अरब, यूएई आदि) से आता है और ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए पहुंचता है।

संकट के दौरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में व्यवधान और शिपिंग समस्याओं के कारण आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मासिक आयात पहले 20 लाख टन के आसपास था, जो संकट के चरम पर घटकर 10-12 लाख टन रह गया। परिणामस्वरूप व्यावसायिक (नॉन-डोमेस्टिक) पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पड़े ताकि घरेलू उपभोक्ताओं (जिनकी संख्या 33 करोड़ से ज्यादा है) को प्राथमिकता दी जा सके। कई राज्यों में होटल-रेस्तरां, कैंटीन और छोटे उद्योगों को सिलेंडर मिलने में देरी हुई, कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ीं और वैकल्पिक ईंधन (जैसे इंडक्शन या डीजल) का इस्तेमाल बढ़ा। थोक एलपीजी की सप्लाई भी लगभग बंद कर दी गई थी। सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिफाइनरियों को पेट्रो रसायनों का उत्पादन बंद करके पूरी तरह से से एलपीजी उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। इससे घरेलू उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई और रोजाना 40 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) एलपीजी उत्पादन बनाए रखा गया। भारत की वार्षिक एलपीजी खपत लगभग 3.3 करोड़ टन के आसपास है। इसमें घरेलू उपयोग (खाना पकाने) का हिस्सा सबसे बड़ा है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान भी महत्वपूर्ण है। संकट के दौरान उपभोग में कुछ महीनों में 13-19 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो आपूर्ति की कमी का नतीजा था।

इस्तीफा दें सीएम - सीएम भगवंत मान के वीडियो विवाद पर बोले राघव चड्ढा

नई दिल्ली। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की और एक आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े विवाद के कारण उनके खिलाफ धार्मिक अपमान विरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए चड्ढा ने कहा कि भगवंत मान से जुड़े धार्मिक अपमान (बेअदबी) वाले वीडियो के पीछे का सच अब सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने एक झूठी फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, गुरु-द्रोही भगवंत मान से जुड़े धार्मिक अपमान वाले वीडियो के पीछे का सच, जिसे भगवंत मान और पंजाब सरकार ने एक झूठी फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए छिपाने की कोशिश की थी, अब सबके सामने आ गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि वीडियो असली था या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था।

सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं, 264 करोड़ मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से लैस बनाने के उद्देश्य से 75 सीएम श्री स्कूलों में व्यापक मरम्मत, सुधार और नयी सुविधाएं विकसित की जायेंगी। गुप्ता ने आज कहा कि हाल में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इसके लिए लगभग 264 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल स्कूल भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना है, जहां विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक परिसर मिले। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्कूलों के प्रवेश द्वारों का आधुनिक स्वरूप में निर्माण, संशोधन और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन पर सीएम का नया लोगो और स्कूल का नाम प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भवनों में सीलन और नमी की समस्या दूर करने, वॉटरप्रूफिंग, आंतरिक एवं बाहरी पेंटिंग, प्लास्टर की मरम्मत, बाउंड्री वॉल एवं फेंसिंग का निर्माण अथवा मरम्मत, शौचालयों में सुधार, पेयजल सुविधा में सुधार, सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने, आवश्यकता के अनुरूप खेल सुविधाओं का विकास, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत, मल्टीपरपज हॉल का नवीनीकरण और आवश्यकता अनुसार अन्य मरम्मत कार्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल कार्यों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े कार्य किये जायेंगे। खराब एलईडी लाइट, सीलिंग फैन,

एग्जॉस्ट फैन और पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम को बदला जायेगा, ताकि पूरे परिसर में घोषणाएं और आपातकालीन सूचनाएं प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सकें। स्कूल परिसरों में हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था की जायेगी। मल्टीपरपज हॉल एवं कंप्यूटर लैब में एयर कंडीशनिंग, स्टेज लाइटिंग, सीएम लोगो युक्त एलईडी साइनेज एवं एलईडी बोर्ड, इनवर्टर आरओ वॉटर कूलर, मुख्य विद्युत पैनलों का अपग्रेडेशन और नयी वायरिंग, री-वायरिंग, पावर पॉइंट और लैन पॉइंट उपलब्ध कराये जायेंगे। विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टैक्टाइल पाथ और हैंडरेल जैसी दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं विकसित की जायेंगी। साथ ही सीसीटीवी, कंपाउंड लाइटिंग और खेल मैदानों का विकास भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत स्कूल परिसरों का स्वरूप भी पूरी तरह बदला जायेगा। आधुनिक डिजाइन वाले सीएम प्रवेश द्वार विकसित किये जायेंगे। जहां बाउंड्री वॉल अच्छी स्थिति में है वहां आवश्यकतानुसार मामूली मरम्मत की जायेगी और ग्रिट फिनिश को बरकरार रखा जायेगा। फेंसिंग को आकर्षक विपरीत रंगों से रंगा जायेगा। खेल मैदानों में आधुनिक आउटडोर गैलरी विकसित की जायेगी, जिसका उपयोग आउटडोर कक्षाओं, मनोरंजन, इंटरैक्टिव गतिविधियों तथा सहयोगात्मक शिक्षण के लिए किया जा सकेगा। बास्केटबॉल कोर्ट में नया टफ बिछाया जायेगा। यह सारा कार्य अगले साल के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल भवनों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों को ऐसे आधुनिक शिक्षण परिसरों में विकसित करना है, जहां विद्यार्थियों को सुरक्षित, समावेशी, तकनीक-सक्षम और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो। यह प्रस्ताव दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना को नयी दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, लिखित खेद आवेदन स्वीकार; हाईकोर्ट ने प्रकरण किया निरस्त

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक दिन पहले ही राहुल गांधी की तरफ से मानहानि के प्रकरण में अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह ने उनके लिखित खेदनामा को स्वीकार करते हुए प्रकरण को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 अक्टूबर 2018 में झाबुआ

में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता का नाम लिया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। परिवाद पर सुनवाई करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया। साथ ही 25 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया था।

भाजपा शासित राज्यों में घोटाले ही घोटाले- अशोक गहलोत

जोधपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात इतने गंभीर हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी कथित घोटालों में सामने आया है, लेकिन भाजपा के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां अव्यवस्था और अफरातफरी का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भी जनता सरकार के कामकाज से नाखुश है और स्थिति मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हालात को समझकर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

मेरे चेहरे वाला मास्क पहनकर शूट किया गया वीडियो, पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किए सबूत

चंडीगढ़। कथित वायरल वीडियो विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को दावा किया है कि इंटरनेट मीडिया पर जो कथित वीडियो प्रसारित हो रहा है, उसमें वे नहीं बल्कि उनके चेहरे का मास्क पहनकर वीडियो बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनके नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने दावा किया कि यह उन्हें राजनीतिक और धार्मिक तौर पर बदनाम करने की सोची-समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अकाल तख्त साहिब आज भी उन्हें बुलाता है तो वह पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक नाम लेवा संगत का जो भी फैसला होगा, वह उन्हें मंजूर होगा। अकाल तख्त से ऊपर कोई नहीं। धार्मिक विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने एसजीपीसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों के बाहर उनके बहिष्कार के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ ऐसे बोर्ड क्यों नहीं लगाए

गए। मान ने कहा कि यह दोहरे मापदंड का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने मिलकर उनके खिलाफ माहौल बनाया है। भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर दावा किया कि उसमें नजर आ रहा व्यक्ति उनके कद-काठी से मेल नहीं खाता। गर्दन पर पुराने ऑपरेशन का निशान भी दिखाया और कहा कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की गर्दन पर ऐसा कोई निशान नहीं है। वीडियो में मौजूद शख्स ने मास्क पहन रखा है, जिससे उसकी असली पहचान छिपाई गई। सीएम मान ने एक अन्य तस्वीर भी मीडिया के सामने रखी, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में मास्क पकड़े नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह व्यक्ति फिलहाल कनाडा में है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जगह की तस्वीर दिखाई जा रही है, वह किसी होटल की प्रतीत होती है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति एक नकली शख्स है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का हिस्सा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कथित वीडियो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन हैं, इसका खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में पड़ोसी राज्य की पुलिस ने फर्जी कार्रवाई की है। सीएम मान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में अब कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल का संयुक्त मोर्चा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों दल अलग-अलग मंचों पर भले एक-दूसरे के विरोधी दिखते हों, लेकिन उन्हें घेरने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मान ने कहा कि उनकी सरकार के कामों से विरोधी घबराए हुए हैं और इसी वजह से व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई हो। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी विरोधियों ने वीडियो जारी कर उन्हें शराबी साबित करने की कोशिश की थी।

अब जब विधानसभा चुनाव करीब आने लगे हैं तो विरोधियों ने फिर वही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। मान ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में उन्हें हराने में असफल विपक्ष अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब की जनता सब समझ रही है और सच ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि वह जनता और संगत की अदालत में खड़े हैं और अंतिम फैसला वहीं से स्वीकार करेंगे।

खान सर के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे छात्र

पटना। देश के विभिन्न शहरों में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के बीच बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मुसल्लहपुर हाट स्थित प्रसिद्ध शिक्षक खान सर (खान ग्लोबल स्टडीज) के कोचिंग सेंटर में गुरुवार (25 जून, 2026) की शाम भीषण आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया और कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस की है, जहां खान ग्लोबल स्टडीज का संचालन होता है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले कोचिंग सेंटर के बाहरी बोर्ड में लगी थी। आग लगने के बाद कैंपस के चारों ओर धुएं का गुबार छा गया, जिससे छात्र और आसपास के लोग दहशत में आ गए। राहत की बात यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी

अनहोनी नहीं हुई और छात्र बाल-बाल बच गए। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ होगा। प्रशासन और अग्निशमन विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है ताकि वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार, खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान पहले से ही अग्निशमन विभाग के निशाने पर था।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर- टिन्नू यादव समेत 8 के नाम

महासचिव चंपत राय समेत बड़े चेहरों को बचाया

नई दिल्ली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के दो दिन बाद दर्ज हुए मुकदमे में ट्रस्ट के प्रभावशाली पदाधिकारियों से जुड़े लोगों के नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और चढ़ावा राशि की चोरी के आरोप में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार, छह जून को राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता और चोरी का मामला उजागर हुआ था। प्रारंभिक स्तर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने खुद संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की थी। बढ़ते विवाद के बीच 13 जून को एसआईटी गठित की गई, जिसने जांच पूरी कर मंगलवार को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। बृहस्पतिवार को ट्रस्टी कृष्ण मोहन की तहरीर पर अयोध्या के कोतवाली रामजन्मभूमि में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, महासचिव चंपत राय के चालक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, गणना कर्मी मनीष यादव, अभिनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव को नामजद किया गया है। इसके अलावा कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से

साजिश रचकर चढ़ावा राशि के साथ धोखाधड़ी की और धनराशि का गबन किया। पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे और लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

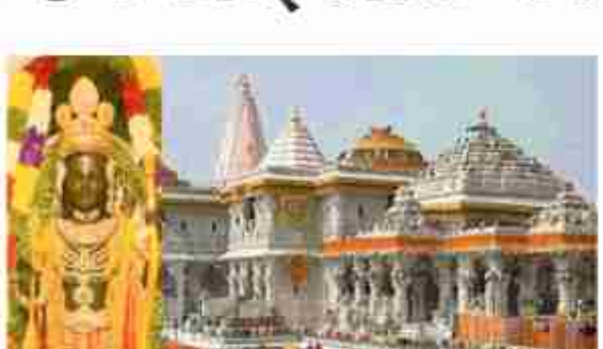

सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को सौंपे थे 11 दस्तावेज

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को एसआईटी से मिलकर जमीन की खरीद-फरोख्त संबंधी 11 दस्तावेज सौंपे। दावा किया कि इन जमीनों की बिक्री व खरीदारी में करोड़ों रुपये का हेरफेर व घोटाला किया गया। एसआईटी अब दस्तावेजों की तस्दीकर जांच शुरू की है। सांसद ने आरोप लगाया है कि मंदिर के लिए कई जमीनें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदी गईं, जिससे चंदे की रकम को भारी नुकसान पहुंचाया गया। एसआईटी अध्यक्ष व लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और सदस्य नील रतन से मिलकर संजय सिंह ने कहा है कि जिन लोगों के नाम हाल ही में मंदिर के चढ़ावे और दानपात्र में अनियमितताओं के मामले में सामने आए हैं, उन्हीं लोगों की भूमिका जमीन खरीद के विवादित सौदों में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने दस्तावेज देने के साथ मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई की मांग की। संजय सिंह द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244 और 246 की जमीन दो करोड़ रुपये में खरीदी। आरोप है कि उसी दिन कुछ ही देर बाद यही जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में बेच दी गई। सांसद का दावा है कि इस एक सौदे में करीब 16.5 करोड़ रुपये का अंतर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बैनामे के गवाह तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे।